इंतजार एसआईएसएफ चार सरकारी विभागों समेत 21 निजी कंपनियों की मांग भी नहीं कर पा रहा पूरी

एमपी-पीएससी को सुरक्षा गार्ड की दरकार

विशाल त्रिपाठी | भोपाल

एमपी पीएससी, बिजली कंपनी, खनिज विभाग और नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड (एनसीएल) को सरकारी सुरक्षा गार्ड की दरकार है। इसके लिए इन विभागों ने राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) से सुरक्षा गार्ड देने की मांग की। लेकिन बल की कमी के कारण एसआईएसएफ इन चार सरकारी विभागों समेत 21 निजी कंपनियों की मांग भी पूरी नहीं कर पा रहा है।

इन विभागों की दरकार तब पूरी तब होगी, जब एसआईएसएफ की मांग को स्पेशल आम्र्ड फोर्स (एसएएफ) स्वीकार कर ले। दरअसल, एसआईएसएफ ने बल की कमी को पूरा करने के लिए महीनेभर पहले एसएएफ से मांग की थी। महीनेभर बाद भी एसएएफ ने इसे स्वीकार नहीं किया है। एसआईएसएफ में फिलहाल तीन हजार का जवान व अफसर तैनात हैं। एसएएफ से पांच कंपनियां (500 जवान) मांगे गए हैं।

निजी एजेंसी के पास नहीं अधिकार

आईजी एसआईएसएफ आरके सराठे के मुताबिक जुलाई 2013 में एसआईएसएफ का गठन हुआ था। निजी और सरकारी विभागों में सुरक्षा मुहैया करवाकर प्रदेश सरकार को गठन से अब तक 35 करोड़ रुपए का राजस्व दिया है। अब निजी कंपनियों की भी दिलचस्पी एसआईएसएफ से सुरक्षा लेने में बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि निजी सुरक्षा एजेंसीज के पास उतने अधिकार नहीं हैं, जितने एसआईएसएफ के जवानों के पास हैं। वे न तो बदमाशों से मुकाबला करने में सक्षम होते हैं और न ही किसी कानूनी प्रक्रिया में।

भोपाल में बनेगा मुख्यालय

राजधानी में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्यालय बनाने पर सरकार ने सहमति दे दी है। इसके लिए भदभदा रोड पर जमीन भी तय की जा रही है। मुख्यालय में ट्रेनिंग स्कूल समेत अन्य आधुनिक उपकरणों से लैस भवन बनना प्रस्तावित है।

एसआईएसएफ को हमले का अधिकार

सीआईएसएफ की तर्ज पर मप्र में बनी एसआईएसएफ को भी सुरक्षा के अधिकार मिल चुके हैं। विधेयक पर मिली विधि, गृह विभाग और राज्यपाल की सहमति के बाद 14 सितंबर 2015 को इसका नोटिफिक्केशन कर दिया गया है। किसी भी स्थान या व्यक्ति की सुरक्षा में अब एसआईएसएफ के जवान किसी भी तरह से बल प्रयोग कर सकते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर आरोपी को मार गिराने तक के पावर उन्हें मिले हैं। वे उक्त व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकते हैं।

80 एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज

एसआईएसएफ की अनुशंसा पर प्रदेश के थानों में 80 सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 12 ऐसी हैं, जिन्हें भोपाल में बगैर मापदंडों के संचालित किया जा रहा था। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी अधिनियम-2005 के तहत तय किए गए पाठ्यक्रम पर खरी नहीं उतरने पर ये कार्रवाई की गई है।